संलग्नक-10

प्रेषक,

संख्या 2028/38-3-99-500 141/99

अनिल संत,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 15 मई, 1999

विषय :- "विधायक निधि" के मार्गदर्शी सिद्धान्त के दृष्टान्त सूची-1 के बिन्दु-1 तथा 3 में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 4561/38-3-99-300 141/98 दिनांक 22-12-98 द्वारा "विधायक निधि" योजना की अवधारणा, कार्यान्वयन और अनुश्रवण व्यवस्था के सम्बन्ध में मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किया गया था और इस निमित्त वित्तीय वर्ष 1998-99 में शासनादेश 30.01.99, 08.02.99 तथा वित्तीय वर्ष 1999-2000 में शासनादेश दिनांक 3.4.99 द्वारा धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। विधायक निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्त के परिशिष्ट-1 के दृष्टान्त सूची के बिन्दु 1 तथा 3 में निम्नवत आंशिक संशोधन किया जाता है कि बिन्दु 1 के अन्तिम पंक्ति "ऐसे भवन यदि मान्यता प्राप्त संस्थाओं के भी हो तो उनका निर्माण कराया जा सकता है" के स्थान पर "यदि ऐसे भवन यदि मान्यता प्राप्त संस्थाओं के भी हो तो उनका निर्माण कार्य प्रधानाचार्य/प्रबन्धक के माध्यम से कराया जा सकता है। निर्माण कार्य की लागत की प्रथम किश्त के जारी करने के बाद द्वितीय किश्त जिलाधिकारी द्वारा कार्य की प्रगति एवं गुणवत्ता को देखने के बाद जारी की जायेंगी।

इसी प्रकार परिशिष्ट-1 के बिन्दु 3 के अन्तिम पंक्ति के साथ निम्नवत पंक्तियों को भी सम्मिलित किया जाता है "विधायक निधि के अन्तर्गत अधिकतम 20 प्रतिशत धनराशि का सड़कों की मरम्मत एवं उनके गड्ढों को भरने हेतु उपयोग विधायक निधि के अन्तर्गत बनाये गये मानकों में अनुमन्य किया जायेगा। इन कार्यों हेतु सम्बन्धित विधायकगण अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में प्रस्ताव दे सकेंगे तथा इन कार्यों को करने हेतु कार्यदायी संस्था ग्रामीण क्षेत्रों हेतु लोक निर्माण विभाग होगा तथा नगरीय क्षेत्र हेतु लोक निर्माण विभाग/जल निगम/नगर निगम/विकास प्राधिकरण होंगे।

.....2/...

मार्गदर्शी सिद्धान्त उक्त-सीमा तक संशोधित समझा जाये तथा उक्त शासनादेश दिनांक 30-1-99, 08-02-99 तथा 03-04-99 भी तदनुसार संशोधित समझे जायेंगे।

भवदीय,

(अनिल संत)
विशेष सचिव।

संख्या 2028 (1)/38-3-99 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवंआवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
3- प्रमुख सचिव, मा० मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
4- प्रमुख सचिव, वित्त, उ०प्र० शासन।
5- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6- मा० ग्राम्य विकास मंत्री जी/मा० राज्य मंत्री जी के सूचनार्थ उनके निजी सचिव को।
7- समस्त मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9- उ०प्र० सचिवालय के समस्त अनुभाग।
10- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(अनिल संत)
विशेष सचिव।